शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई – मेल :– registrarsnpv@gmail.com, वेबसाईट :– https://snpv.ac.in

क्रमाँक 2301/स्था.प्रशा/कोविड/2022 रायगढ़, दिनाँक 14.01.2022

प्रति,

1. विश्वविद्यालय के समस्त विभाग प्रमुख/अधिकारी
2. प्राचार्य, संबद्ध शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय
   शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

विषय :– कोविड–19 की माहामारी के संक्रमण के दृष्टिगत प्रदेश के राजकीय/निजी विश्वविद्यालयों एव शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों मे शिक्षा सत्र 2021–22 में अध्यापन एवं अध्ययन तथा परीक्षाओं के संबंध में।

संदर्भ :– उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक एफ 17–04/2022/38–1/नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 13.01.2022

विषयान्तर्गत छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग के सन्दर्भित पत्र के माध्यम से निम्नानुसार आदेश प्रसारित किया गया है :–

1. विद्यार्थियों की भौतिक उपस्थिति तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करते हुए समस्त काक्षाओं का संचालन ऑनलाईन पद्धति से सुनिश्चित किया जावें।
2. शैक्षणिक/अशैक्षणिक अमले को एक–तिहाई रोस्टर पद्धति से उपस्थित रहने का निर्देश जारी किया जावे।
3. रोस्टर ड्यूटी वाले दिवसों पर शैक्षणिक अमले द्वारा शिक्षण कार्य महाविद्यालय से एवं शेष दिवसों में निवास से ही ऑनलाईन अध्यापन कार्य महाविद्यालय/अध्ययनशाला के समय सारणी अनुसार नियत समय पर लिया जावे। इसी प्रकार महाविद्यालय/अध्ययनशाला के गैर शैक्षणिक कार्य रोस्टर ड्यूटी अनुसार उपस्थित कर्मचारियों द्वारा महाविद्यालय/अध्ययनशाला में उपस्थित होकर किया जाएगा। किन्तु शेष समस्त कर्मचारी वर्क–फॉम होम पद्धति से दूरभाष/ऑनलाईन प्रक्रिया से कार्यो में सहयोग करेंगे। प्राचार्य, विभागाध्यक्ष/विभागप्रमुख कर्मचारियों की आवश्यकता को देखते हुए रोस्टर का निर्धारण करेंगे।
4. शिक्षा सत्र 2021–22 के सेमेस्टर पद्धति वाले सभी पाठ्यक्रमों के प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाईन/ब्लैन्डेड मोड में आयोजित की जाये।
5. किसी भी स्थिति में अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अवकाश स्वीकृत कराये बिना तथा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय का त्याग नहीं किया जायेगा।

अतः उपरोक्त हुए आदेशानुसार, कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

आदेशानुसार

कुलसचिव (प्रभारी)

क्रमाँक 2302/स्था.प्रशा/कोविड/2022 रायगढ़, दिनाँक 14.01.2022

प्रतिलिपिः–

01. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
02. कार्यालय प्रति।

प्रभारी अधिकारी (प्रशासन)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
---0000---
//आदेश//

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 13/01/2022

क्रमांक एफ 17-04/2022/38-1 : कोविड-19 की महामारी के संक्रमण को देखते हुए राज्य शासन, प्रदेश के राजकीय/निजी विश्वविद्यालयों एवं शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में में शिक्षा सत्र 2021-22 में अध्यापन एवं अध्ययन तथा परीक्षाओं के संबंध में निम्नानुसार आदेश प्रसारित किये जाते है :-

1. विद्यार्थियों की भौतिक उपस्थिति तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करते हुए समस्त कक्षाओं का संचालन ऑनलाईन पद्धति से सुनिश्चित किया जावे।
2. शैक्षणिक/अशैक्षणिक अमले को एक-तिहाई रोस्टर पद्धति से उपस्थित रहने का निर्देश जारी किया जावे।
3. रोस्टर ड्यूटी वाले दिवसों पर शैक्षणिक अमले द्वारा शिक्षण कार्य महाविद्यालय से एवं शेष दिवसों में निवास से ही ऑनलाईन अध्यापन कार्य महाविद्यालय के समय-सारिणी अनुसार नियत समय पर लिया जावे। इसी प्रकार महाविद्यालय के गैर-शैक्षणिक कार्य रोस्टर ड्यूटी अनुसार उपस्थित कर्मचारियों द्वारा महाविद्यालय में उपस्थित होकर किया जायेगा किन्तु शेष समस्त कर्मचारी वर्क-फ्रॉम होम पद्धति से दूरभाष/ऑनलाईन प्रक्रिया से कार्यों में सहयोग करेंगे।
4. शिक्षा सत्र 2021-22 के सेमेस्टर पद्धति वाले सभी पाठ्यक्रमों की प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाईन/ब्लैन्डेड मोड में आयोजित की जावे। विश्वविद्यालयों द्वारा इस संबंध में उनकी कार्य परिषद के अनुमोदन से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये जावे।
5. किसी भी स्थिति में अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अवकाश स्वीकृति कराये बिना तथा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय का त्याग नहीं किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

13/1

(ए.आर.खान)
अवर सचिव

पृ.क्र.एफ 17–04/2022/38–1　　　　नवा रायपुर अटल नगर,दि. 13/01/2022

प्रतिलिपिः–

01. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, रायपुर,
02. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर अटल नगर,
03. कुलपति, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
04. कुलपति, कुशाभाऊ ठाकरे, पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, काठाडीह, रायपुर,
05. कुलपति, पं. सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, कोनी–बिरकोना मार्ग, बिलासपुर,
06. कुलपति, अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर,
07. कुलपति, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर,
08. कुलपति, संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, अंबिकापुर,
09. कुलपति, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़, राजनांदगांव,
10. कुलपति, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग,
11. समस्त निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति ।
12. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर। कृपया संबंधित शिक्षण संस्थाओं को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।
13. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़,
14. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
15. सचिव, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय, विनियामक आयोग, मधुपिल्ले चौक, शांति नगर, रायपुर
16. माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी के विशेष सहायक,
17. समस्त कुलसचिव, राजकीय/निजी विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़,
18. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
19. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर,

की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग